कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु०–11/2014– /कृ0, पटना, दिनांक अगस्त, 2015.

प्रेषक,

बी0 कार्तिकेय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री दिवाकर सिंह,
मेसर्स गामा ओरगेनोमेड प्लस (प्रा0) लि0,
C&F मेसर्स जी0एल0एग्रोटेक, बी0–46, एस0के0पुरी,
पटना, बिहार।

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या–102–103 दिनांक 13.05.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2016 मे इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित कीटनाशियो का कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या 102–103 दिनांक 13.05.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।–

क्र0सं0	कीटनाशी का नाम
1	Azadirachtin 0.15% w/w Min (1500 ppm)

2–उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा– मेसर्स गामा ओरगेनोमेड प्लस (प्रा0) लि0, कैलाश नगर, भूपतिपुर, पटना।

3–यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाए।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5–भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6–अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्तनिदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7–नियम 10 बी0 के तहत् सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8–अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, स्वयं में उनके कन्साइनमेट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कारवाई की जाएगी।

9–कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0. **102–103 दिनांक 13.05.2014** मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(बी0 कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4035 /कृ0, पटना, दिनांक 21 अगस्त 2015

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।